(☏ 022-22862703)
ई-मेल/e-mail-irw@dae.gov.in
फैक्स/Fax No. - 2204 8476 &
2282 4354

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
परमाणु ऊर्जा विभाग
DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY
औ. सं. एवं क. अनुभाग
IR&W SECTION

अणुशक्ति भवन
Anushakti Bhavan,
छ. शि. म. मार्ग
C.S.M. Marg,
मुंबई Mumbai - 400001

सं. No. 7/3/2017/IR&W/ 15104

दिसंबर December 4, 2018

कार्यालय ज्ञापन OFFICE MEMORANDUM

विषय : सीएचएसएस पर टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान की सिफारिशों पर कार्यान्वयन हेतु दिशानिर्देश के संबंध में ।

Sub : Guidelines for implementation of recommendations of TISS on CHSS- reg.

*****

सीएचएसएस योजना की कार्य प्रणाली को समुन्नत करने और इसमें अपरिहार्य रूप से समाहित प्रति-व्यक्ति व्यय हेतु सीएचएसएस नियमों की समीक्षा करने के लिए 2012 में सीएचएसएस समीक्षा समिति गठित की गई थी जिसने सिफारिश किया कि विभाग की सीएचएस योजना का अध्ययन एक स्वतंत्र संस्था से कराया जाए। तदनुसार, मानव संसाधान विकास मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त लोक संस्थान टाटा समाजिक विज्ञान संस्थान को यह कार्य सौंपा गया ।

The CHSS Review committee constituted in 2012 to review CHSS Rules to improve the working on the Scheme and the per-capita expenditure entailed by it, recommended to carry out a study of the CHSS of the Department by an independent body. Accordingly, Tata Institute of Social Sciences (TISS), an autonomous public institution under the Ministry of Human Resource Development was entrusted with the task.

2. टाटा समाजिक विज्ञान संस्थान द्वारा प्रस्तुत की गई सीएचएसएस रिपोर्ट में विशेष रूप से टाटा समाजिक विज्ञान संस्थान की रिपोर्ट में रेफरल को कम करने और फलस्वरूप लागत पर नियंत्रण करने के लिए वर्तमान सीएचएसएस समीक्षा समिति को अधिक विस्तार से विश्लेषण और सिफारिश करने के लिए भेजा गया ।

The report on CHSS submitted by TISS was referred to the present CHSS Review Committee for further analysis and recommendation, especially with regard to the suggestions in TISS report to reduce referrals and control costs thereby.

3. टाटा समाजिक विज्ञान संस्थान द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट के साथ-साथ सीएचएसएस समीक्षा समिति की बाद में की गई सिफारिशों पर विभाग में सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद, विभाग में सीएचएस योजना को मज़बूत करने के लिए निम्नलिखित सिफारिशों को अपनाने संबंधी निर्णय लिया गया है :

After careful consideration in the Department of the report submitted by TISS as well as subsequent recommendations of the CHSS Review Committee, it has been decided to adopt the following recommendations for strengthening the CHS Scheme of the Department:

1. समिति के द्वारा रेफरल लेखा परीक्षा प्रणाली पर नज़र रखी जाए।
   Put in place a referral audit system through a Committee
2. तय किये गये पैकेज दरों का कड़ाई से पालन किया जाए।
   Stick to negotiated package rates.
3. संदर्भित अस्पतालों की प्रतिपूर्ति करने की दक्षता बढ़ाई जाए।
   Should improve efficiency in making reimbursement to the referral hospital.
4. बार बार रेफरल जारी करने के बजाए सीएचएसएस के अधीन अस्पतालों में सर्जरी करने के लिए अग्रणी चिकित्सकों को पैनल में रखा जाए।
   Leading consultants to be empanelled for carrying out surgeries in hospitals under CHSS instead of permitting issue of referral option very often.
5. सीएचएसएस अस्पतालों में सर्जरी की संख्या में वृद्धि की जाए।
   No. of surgeries within the CHSS hospitals to be increased.
6. सीएचएसएस के अधीन प्रतिपूर्ति को सीजीएचएस दरों के अनुरूप की जाए।
   Reimbursement under CHSS should be as per CGHS rates.

इसे सचिव, पऊवि के अनुमोदन से जारी किया जाता है।
This is issued with the approval of Secretary, DAE.

(राकेश गर्ग Rakesh Garg)
निदेशक (आईआरएंडडब्ल्यू) Director (IR&W)

<u>सीएचएसएस का नियंत्रण करने वाले सभी प्राधिकारी/**All CHSS Administering Authorities :**</u>

(1) निदेशक, बीएआरसी, मुंबई Director, BARC, Mumbai
(2) निदेशक, आईजीकार, कलपाक्कम Director, IGCAR, Kalpakkam
(3) निदेशक, जीएसओ, कलपाक्कम Director, GSO, Kalpakkam
(4) मुख्य कार्यकारी, भापाबो, मुंबई Chief Executive, HWB, Mumbai
(5) मुख्य कार्यपालक, एनएफसी, हैदराबाद Chief Executive, NFC, Hyderabad
(6) स्टेशन निदेशक, आरएपीएस, कोटा Station Director, RAPS, Kota
(7) स्टेशन निदेशक, टीएपीएस, तारापुर Station Director, TAPS, Tarapur

(8) निदेशक, एएमडी, हैदराबाद Director, AMD, Hyderabad
(9) निदेशक, आरआरकैट, इंदौर Director, RRCA, Indore
(10) निदेशक, वीईसीसी, कोलकाता Director, VECC, Kolkata
(11) निदेशक (एचआर), एनपीसीआईएल, मुंबई Director (HR), NPCIL, Mumbai
(12) प्रमुख, चिकित्सा प्रभाग, बीएआरसी Head, Medical Division, BARC
(13) मुख्य चिकित्सा अधिकारी, पऊवि अस्पताल, कलपाक्कम
Chief Medical Officer, DAE Hospital, Kalpakkam

प्रतिलिपि Copy to :

(1) इकाइयों के सभी प्रमुख All Heads of Units
(2) इकाइयों के सभी प्रशासनिक प्रमुख All Administrative Heads of Units
(3) अध्यक्ष, पऊआ तथा सचिव, पऊवि का कार्यालय O/o chairman, AEC & Secretary, DAE
(4) अपर सचिव, पऊवि के निजी सचिव, पऊवि PS to AS, DAE
(5) निदेशक, आईएमएससी Director, I.M.Sc.
(6) प्रशासनिक अधिकारी-III,बीएआरसी अस्पताल, बीएआरसी AO-III, BARC Hospital, BARC
(7) सचिव, कर्मचारी पक्ष, विभागीय परिषद Secretary, Staff Side, DC
(8) महासचिव, एनएफएईई General Secretary, NFAEE
(9) सहायक निदेशक (राजभाषा), पऊवि Asst. Director (OL), DAE